निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

Ref. No. DICGC/IOD/ 4687 /05.60.999/2015-16

Date: February 25, 2016

सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया,	Dear Sir/Madam
निक्षेप बीमा प्रीमियम पर सेवाकर का भुगतान – स्वच्छ भारत उपकर	**Payment of Service tax on Deposit Insurance Premium - Swachh Bharat Cess**
कृपया आप 21 अप्रैल 2015 का डीआईसीजीसी का परिपत्र सं. डीआईसीजीसी/ आईओडी/ 05.61.999/ 283/ 2015-16 देखें। उक्त परिपत्र में सभी बीमाकृत बैंकों को यह सूचित किया गया था कि सेवाकर की दर को 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है तथा इसमें आगे 2% का "स्वच्छ भारत उपकर" जोड़ने का एक सक्षम प्रावधान भी किया गया है।	Please refer to DICGC Circular No. DICGC/IOD/05.61.999/283/2015-16 dated April 21, 2015 wherein all insured banks were advised that Service Tax rate has been changed from 12.36 % to 14% with an enabling provision to increase further by 2 % towards "Swachh Bharat Cess".
2. भारत सरकार ने 6 नवंबर 2015 को अधिसूचना सं. 22/20115-सेवाक़र जारी की थी और 15 नवंबर 2015 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.50 प्रतिशत की दर से "स्वच्छ भारत उपकर" लागू किया है।	2. Central Government issued Notification No. 22/2015-Service Tax dated November 06, 2015 and levied "Swachh Bharat Cess" on all taxable services @ 0.50% from November 15, 2015 onwards.
3. कोई भी बैंक जिसने 15 नवंबर 2015 को अथवा उसके बाद प्रीमियम अदा किया है, उसे कर-योग्य सेवाओ के मूल्य अर्थात प्रीमियम राशि पर 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर और 0.50 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर का भुगतान करना होगा।	3. Any bank who have remitted premium on or after November 15, 2015 are liable to pay Service Tax at the rate of 14% and Swachh Bharat Cess @ 0.50% of the value of taxable services i.e. amount of premium.
4. यदि किसी बैंक लागू सेवाकर का भुगतान नहीं किया है या कम दर पर भुगतान किया है तो उनको यह पुनः सूचित किया जाता है कि कम	4. In case any bank has not remitted the applicable Service Tax or remitted the same at lower rate, it is again advised to remit the same

भुगतान /विलंब से भुगतान करने पर उसपर लगने वाले दंडात्मक ब्याज से बचने के लिए कृपया उक्त का भुगतान करें।	to avoid interest on short/delayed payment.
भवदीया, (आर. एस. मोरिया) उप महाप्रबंधक	Yours faithfully, (R.S. Moria) Deputy General Manager